सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण संचालनालय, मध्यप्रदेश
(1250, तुलसीनगर, भोपाल–462 003)
(Telephone- 0755-2556916, FAX-0755-2552665)
{ E-mail address: dpswbpl@nic.in }

क्रमांक / नि.क. / 2016 / 2494 भोपाल, दिनांक 16 / 11 / 2016

प्रति,

1. समस्त कलेक्टर,
2. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत,
3. समस्त संयुक्त / उप संचालक, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण, मध्यप्रदेश।

विषय :– निरामय स्वास्थ्य बीमा योजना के संबंध में।

राष्ट्रीय न्यास, भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा स्वपरायणता (Autism), प्रमस्तिष्क घात (Cerebral Palsy), मानसिक मंदता (Mental Retardation) और बहुनिःशक्तता (Multiple Disability) से ग्रस्त निःशक्तजनों हेतु निरामय स्वास्थ्य बीमा संचालित है। योजनांतर्गत राशि रुपये 1 लाख का स्वास्थ्य बीमा किया जाता है।

2. मानसिक रुप से अविकसित एवं बहुविकलांग निःशक्तजनों को आर्थिक सहायता योजना अंतर्गत निःशक्तजनों को प्रतिमाह रू. 500 / – का लाभ पेंशन पोर्टल के माध्यम से दिया जा रहा है। पेंशन पोर्टल पर लाभांवित हितग्राहियों का डेटा राष्ट्रीय न्यास, भारत सरकार को उपलब्ध कराया गया। शासन द्वारा 55,731 मानसिक रुप से अविकसित एवं बहुविकलांग निःशक्तजनों का राज्य स्तर से एकमुश्त निरामय स्वास्थ्य बीमा वर्ष 2016–17 हेतु करवाया गया है। राष्ट्रीय न्यास द्वारा उक्त समस्त हितग्राहियों के निरामय स्वास्थ्य बीमा कार्ड राष्ट्रीय न्यास की वेबसाईट पर अपलोड किये जा चुके है। जिला कार्यालय, सामाजिक न्याय एवं राष्ट्रीय न्यास की पंजीकृत संस्था को ई–मेल द्वारा हितग्राहियों की सूची भेजी गई है, जिसमें एप्लीकेशन आईडी एवं समग्र आईडी है। आप एप्लीकेशन आईडी से नीचे लिखी लिंक पर जाकर कार्ड प्रिंट कर सकते है।

www.thenationaltrust.gov.in/auth/niramaya-e-card.php

3. अतः तदनुसार हितग्राहियों के बीमा कार्ड प्रिंट कर सर्वसंबंधितों को वितरित करवाने का कष्ट करें। बीमा कार्ड वितरण का कार्य समारोह पूर्वक किया जाये। समारोह में योजना के बारे में पर्याप्त प्रचार–प्रसार किया जाकर योजना से प्राप्त होने वाले लाभ के बारे में हितग्राहियों के अभिभावकों तथा आमजन को अवगत

कराया जाये। योजना अंतर्गत प्राप्त होने वाले लाभ के बारे में शासन पत्र दिनांक 8.7.2016 से विस्तृत निर्देश जारी किये गये है। आपकी सुविधा हेतु योजना अंतर्गत प्राप्त होने वाली सुविधा का संक्षिप्त विवरण संलग्न है।

की गई कार्यवाही से अवगत कराये।

संलग्न : उपरोक्तानुसार

(अजीत कुमार)
संचालक
सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन
कल्याण, भोपाल म.प्र.

पृ. क्रमांक / नि.क. / 2016 / 2495-16-11-16 भोपाल दिनांक / 11 / 2016

प्रतिलिपी :–

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, सामाजि सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग।
2. आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय, भोपाल।
3. समस्त संभागीय आयुक्त, मध्यप्रदेश।
4. श्री पंकज मारु, स्टेट नोडल कोर्डिनेटर, राष्ट्रीय न्यास, नागदा जेनिथ सोशल वेलफेयर सोसाईटी 3 / 10, आदर्श गांधी ग्राम कॉलोनी, नागदा, उज्जैन, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ।

संचालक
सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन
कल्याण, भोपाल म.प्र.

निरामय स्वास्थ्य बीमा योजना

राष्ट्रीय न्यास (National Trust) द्वारा स्वपरायणता (Autism) प्रमस्तिष्क घात (Cerebral Palsy) मानसिक मंदता (Mental Retardation) और बहुविकलांगता (Multiple Disability) के निःशक्तजनों हेतु वैधानिक संरक्षकता (Legal Guardianship) तथा निरामय स्वास्थ्य बीमा योजना संचालित है।

राष्ट्रीय न्याय द्वारा उपरोक्त श्रेणी के निःशक्तजनों हेतु निरामय स्वास्थ्य बीमा योजना संचालित है, जिसमें निःशक्त व्यक्तियों के लिए राशि रुपये 1 लाख का बीमा किया जाता है। योजना में आयु सीमा का कोई बंधन नहीं है यह जन्म से लेकर मृत्यु पर्यन्त तक का लाभ है। **निरामय स्वास्थ्य बीमा में पंजीयन करने के लिए लीगल गार्जियनशिप की बाध्यता नहीं है।**

प्रीमियम

निरामय स्वास्थ्य बीमा हेतु देय शुल्क

श्रेणी	पंजीयन शुल्क	नवीनीकरण शुल्क	
बी.पी.एल ए.पी.एल विकलांगजन जिनके वैधानिक संरक्षक नैसर्गिक माता–पिता न हो	250/– 500/– निरंक	50/– 250/– निरंक	सभी प्रकार के नामांकन राष्ट्रीय न्यास की पंजीकृत संस्थाओं द्वारा वर्ष में कभी भी ऑनलाईन भुगतान द्वारा किया जाता है। सभी प्रकार के नवीनीकरण हितग्राही स्वयं या राष्ट्रीय न्यास की पंजीकृत संस्थाओं द्वारा ऑनलाईन भुगतान द्वारा किया जाता है।

सुविधाएं

- प्रतिपूर्ति आधार पर सुविधा दी जाती है।
- हेल्थ कार्ड जारी किया जाता है।

खण्ड	उप खण्ड	विवरण	उप सीमा	खण्ड की समग्र सीमा
1		**अस्पताल में भर्ती होने संबंधी समग्र सीमा**		**70,000/–**
	क	वर्तमान और जन्मजात विकलांगता के लिए सुधारात्मक शल्य–क्रिया	40,000/–	
	ख	गैर शल्य–क्रिया/अस्पताल में भर्ती होने	15,000/–	
	ग	विकलांगता को और बढ़ने से रोकने के लिए शल्य–क्रिया	15,000/–	
2		**बाह्म रोगी विभाग (ओपीडी) के लिए समग्र सीमा**		**14,500/–**
	क	ओपीडी इलाज, जिसमें दवाएं, रोगों की जॉच, निदान संबंधी परीक्षण आदि	8,000/–	
	ख	स्वस्थ्य विकलांगों के लिए नियमित चिकित्सा जांच	4,000/–	
	ग	रोक–थाम परक दन्त चिकित्सा	2,500/–	
3		**विकलांगता और विकलांगता संबंधी जटिलताओं के कुप्रभाव को कम करने के लिए अनवरत चिकित्सा**		**10,000/–**
4		**वैकल्पिक चिकित्सा**		**4,500/–**
5		**परिवहन व्यय**		**1,000/–**
		प्रति व्यक्ति कवरेज की समग्र सीमा रुपये		**1,00,000/–**

———